

भारत सरकार
शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
भूमि और विकास कार्यालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

सं. 24(372)/2000-सीडीएन

दिनांक: 27.06.2003

सेवा में

1. मुख्य सचिव,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
आई.टी.ओ.,
नई दिल्ली
2. उपाध्यक्ष,
दिल्ली विकास प्राधिकरण,
विकास सदन,
नई दिल्ली
3. अध्यक्ष,
एनडीएमसी,
पालिका केंद्र,
नई दिल्ली
4. आयुक्त,
एमसीडी
टाउन हॉल,
दिल्ली
5. मुख्य समाधान आयुक्त,
गृह मंत्रालय
(पुनर्वास प्रभाग),
जैसलमेर हाउस,
नई दिल्ली

विषय – दिल्ली में लीजहोल्ड टेन्यूर के फ्रीहोल्ड में अंतरण के संबंध में


महोदय,

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.06.03 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संशोधित अंतरण स्कीम के अनुसार यह निर्णय किया

गया है कि सभी श्रेणियों के संबंध में दर्ज पट्टाधारियों के मामले में अंतरण शुल्क में छूट को युक्तियुक्त बनाया जाएगा और बिना किसी विभेद के अब यह अंतरण शुल्क का 40 प्रतिशत होगी। जीपीए मामलों में अंतरण शुल्क पर 33-1/3 प्रतिशत की मौजूदा दर पर अधिभार जारी रहेगा।

2. कृपया दिनांक 24.06.03 के पत्र को इस सीमा तक संशोधित माना जाए।

भवदीय



(वी. श्रीकुमार)

जनसंपर्क अधिकारी

दूरभाष सं.: 23014448